

राजस्थान सरकार
पंचम राज्य वित्त आयोग

प्रथम तल, बी-ब्लॉक, वित्त भवन, जन पथ, जयपुर- 302005
फोन नं.- 0141-2742881, 2742833, फैक्स नं.- 2742875

E-mail Address: sfc-5@rajasthan.gov.in

website: www.sfc.rajasthan.gov.in

जिला परिषद्/पंचायत समिति हेतु प्रश्नावली

कृपया इस प्रश्नावली एवं प्रपत्रों को पूर्णरूप से भरकर शीघ्रातिशीघ्र भिजवायें, अधिकतम दिनांक 31.12.2015 तक आयोग कार्यालय में भिजवायें, प्रश्नावली की प्रति आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है।

जिला परिषद्/पंचायत समिति का नाम जिला प्रमुख/प्रधान का नाम.....
जिला परिषद्/पंचायत समिति के अधीन पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों की संख्या.....
जिला परिषद्/पंचायत समिति की आबादी..... जिला.....
जिला परिषद्/पंचायत समिति का भौगोलिक क्षेत्रफल (किमी में).....

कृपया निम्नलिखित प्रश्नावली के उत्तर देवें अथवा अपनी टिप्पणी अंकित करें। यदि आवश्यकता हो तो अलग से कागज लगा लें।

(1) पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत जिला परिषद्/पंचायत समिति को हस्तान्तरित विकास कार्य व आपकी संस्था द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के लिये संसाधन :-

- (अ) जिला परिषद्/पंचायत समिति द्वारा पूर्ण रूप से जुटाये जा सकते हैं। हाँ/नहीं
(ब) जिला परिषद्/पंचायत समिति द्वारा आंशिक रूप से जुटाये जा सकते हैं। हाँ/नहीं
(स) जिला परिषद्/पंचायत समिति द्वारा स्थानीय रूप से नहीं जुटाये जा सकते हैं। हाँ/नहीं
(द) यदि नहीं जुटाएँ जा सकते हैं तो संसाधन किस प्रकार जुटाये जा सकते हैं?
सुझाव दीजिए

(2) (क) वर्तमान में आपकी जिला परिषद्/पंचायत समिति द्वारा क्या-क्या सार्वजनिक विकास कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं ?

1.
2.
3.
4.
5.

(ख) यदि नहीं तो किस प्रकार के विकास कार्यों की आवश्यकता है विवरण दें:-

(ग) विकास कार्यों द्वारा सृजित परिसम्पतियों के संधारण की क्या व्यवस्था है ?

(3) आपकी जिला परिषद्/पंचायत समिति के स्वयं की आय के स्रोत क्या हैं ?

- (अ) करारोपण ()
 (ब) आवासीय भूमि के पट्टा वितरण ()
 (स) अन्य साधन – कृपया उल्लेख करें

(4) आपकी जिला परिषद्/पंचायत समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर अपने :-

- (अ) संसाधन बढ़ाने के लिये क्या कारगर कदम उठाये गये?
 • नये कर/फीस आदि लगाये गये ()
 • खर्चों में कमी की गई ()
 • नजूल सम्पत्ति की बिक्री ()

(ब) पिछले पांच वित्तीय वर्षों में आपकी जिला परिषद्/पंचायत समिति द्वारा लगाये गये करों का विवरण व उनसे हुई आय का ब्यौरा निम्न प्रपत्र में दें:-

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.सं.	मद/कर का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	कृषि भूमि के किराये पर कर					
2.	ब्यापार/व्यवसाय आदि पर कर					
3.	मेलों पर कर					
4.	मनोरंजन कर					
5.	अन्य- मदवार उल्लेख करें					

(5) आपकी राय में क्या जिला परिषद्/पंचायत समिति को पंचायती राज अधिनियम के तहत स्थानीय स्तर पर संसाधन बढ़ाने/जुटाने के पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं ? हाँ/नहीं
 अगर नहीं तो किस प्रकार के अधिकारों की आवश्यकता है ?

- (6) क्या आपकी जिला परिषद्/पंचायत समिति की आर्थिक स्थिति कमजोर है ? हाँ/नहीं
यदि हाँ तो इसे कैसे सुदृढ किया जा सकता है:-
(अ) कर लगाकर हाँ/नहीं
(स) खर्चों में कमी कर हाँ/नहीं
(द) करों की बेहतर वसूली कर हाँ/नहीं
(इ) अन्य उल्लेख करें
.....
.....
- (7) जिला परिषद्/पंचायत समिति के राजस्व संग्रहण का कार्य किसके द्वारा किया जाना चाहिये ?
(अ) स्वयं जिला परिषद् द्वारा ()
(ब) सहकारी विभाग द्वारा ()
(स) राजस्व विभाग द्वारा ()
(द) एक अलग राज्य एजेन्सी द्वारा ()
(इ) अन्य कोई विकल्प आपकी राय में :-
.....
.....
- (8) जिला परिषद्/पंचायत समिति की आय में वृद्धि हेतु अन्य स्रोत क्या हो सकते है ?
.....
.....
- (9) क्या वर्तमान में जिला परिषद्/पंचायत समिति आय के लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करती हैं ? हाँ/नहीं
- (10) जिला परिषद्/पंचायत समिति को संसाधनों के आवंटन का आधार क्या होना चाहिये :-
(अ) कुल जनसंख्या ()
(ब) कुल क्षेत्रफल ()
(स) अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी ()
(द) पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर ()
(इ) विकास की आवश्यकता ()
(ई) उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर ()
(ए) अन्य कोई मापदण्ड जो आप उपयुक्त समझते हैं, उल्लेख करें

- (11) जिला परिषद्/पंचायत समिति को अपने मूलभूत दायित्वों के निर्वहन करने में मुख्य बाधाएँ :-
- (अ) अपर्याप्त आर्थिक संसाधन ()
- (ब) कर्मचारियों का अभाव ()
- (स) आय के स्रोत बढ़ाने में इच्छा शक्ति का अभाव ()
- (द) जन सहयोग प्राप्त न होना ()
- (य) अन्य कारण (उल्लेख करें)
-
-

(12) क्या जिला परिषद्/पंचायत समिति द्वारा अपने क्षेत्र के विकास की वार्षिक योजना तैयार की जाती है ? हाँ/नहीं

(13) यदि राज्य के संसाधनों में से पंचायती राज संस्थाओं को वित्त पोषण किया जाता है तो आपकी राय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् के मध्य किस अनुपात में राशि का वितरण किया जाना चाहिये अंकित करें :

क्र.सं.	संस्थान	प्रतिशत
1.	जिला परिषद्	0-5, 5-10, 10 से अधिक तो कितना
2.	पंचायत समिति	0-12, 12-15, 15-20, 20 से अधिक तो कितना
3.	ग्राम पंचायत	0-70, 70-85, 85 से ज्यादा तो कितना
कुल		

(14) जिला परिषद्/पंचायत समिति को राज्य सरकार द्वारा सहायता किस रूप में दिया जाना अधिक उपयुक्त है ?

- (अ) कर, शुल्क, पथकर, फीस में से हिस्से के रूप में यदि हाँ तो कितना प्रतिशत ----- हाँ/नहीं
- (ब) इन करों के समनुदेशन (Assignment)द्वारा यदि हाँ तो कितना प्रतिशत ----- हाँ/नहीं
- (स) विनियोजन (Appropriation) द्वारा यदि हाँ तो कितना प्रतिशत ----- हाँ/नहीं
- (द) अनुदान के रूप में यदि हाँ तो प्रतिव्यक्ति अनुदान की राशि क्या होनी चाहिये ----- हाँ/नहीं
- (इ) अन्य किसी रूप में, उल्लेख करें
-

(15) क्या जिला परिषद्/पंचायत समिति द्वारा वार्षिक बजट बनाया जाता है ? हाँ/नहीं

(16) क्या जिला परिषद्/पंचायत समिति की सम्पत्तियों का रजिस्टर (Asset Register) अथवा रिकॉर्ड रखा जा रहा है ? हाँ/नहीं

(17) ऑडिट की स्थिति

(क) आपकी जिला परिषद्/पंचायत समिति का CAG से ऑडिट किस वर्ष तक का पूर्ण हुआ है।

(ख) CAG ऑडिट रिपोर्ट की पालना की स्थिति:-

- कितनी रिपोर्ट की पालना शेष है, संख्या बतायें
- कितने ऑडिट पैरा बकाया है, संख्या बतायें.....

(ग) आपकी जिला परिषद्/पंचायत समिति का LFAD से ऑडिट किस वर्ष तक का पूर्ण हुआ है।

(घ) LFAD ऑडिट रिपोर्ट की पालना की स्थिति:-

- कितनी रिपोर्ट की पालना शेष है, संख्या बतायें
- कितने ऑडिट पैरा बकाया है, संख्या बतायें.....

(18) भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में अधिसूचित 29 कार्यकलापों में से कितने कार्य आपकी जिला परिषद्/पंचायत समिति में सम्पादित हो रहे हैं.....

(19) (क) राज्य सरकार द्वारा 5 विभाग यथा कृषि, शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा महिला एवं बाल विकास पंचायती राज संस्थानों को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में आपके संस्थान के अभिमत का उल्लेख करें-

(अ) क्या उक्त विभागों के आपके क्षेत्राधिकार के समस्त अधिकारी/कर्मचारी नियंत्रण में कर दिये गये हैं ?

हाँ/नहीं

(ब) क्या उक्त विभागों के लिये आवंटित बजट राशि आपको हस्तान्तरित की जा रही है ?

हाँ/नहीं

(स) क्या उक्त विभागों के समस्त कार्य आपके द्वारा सम्पादित किये जा रहें हैं ?

हाँ/नहीं

(द) हस्तांतरित विभागों द्वारा सुचारु रूप से कार्य करने में क्या बाधाएँ आ रही हैं? विवरण दें।

.....
.....

(इ) विगत पाँच वर्षों का विभागानुसार किये गये व्यय का विवरण दें।

.....
.....

(ख) उक्त पाँच विभागों के हस्तान्तरण से संबंधित अन्य सुझाव यदि कोई हो तो उल्लेख करें।

.....
.....

(20) आपकी जिला परिषद्/पंचायत समिति द्वारा प्रशासनिक तन्त्र में सुधार, मितव्ययता, स्वावलम्बी बनाने अथवा इसी तरह के अन्य कार्यों हेतु कोई प्रणाली विकसित की गई हो अथवा अन्यत्र अपनाई जाने वाली प्रणाली (Best Practices) प्रयोग में लाई गई हो तो, उसका विवरण दें।

.....
.....

(21) क्या ग्रामीण निकायों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की स्थानीय स्तर पर कोई व्यवस्था है? हाँ/ नहीं

(22) क्या आपकी संस्था में आय, व्यय एवं विकास कार्य के लिये मॉनीटरिंग की कोई व्यवस्था है ? हाँ/ नहीं

(23) आपकी संस्था में स्वीकृत स्टाफ एवं रिक्त पदों का केडर के अनुसार विवरण संलग्न करें।

(24) जिला परिषद्/पंचायत समिति क्षेत्र में जल संरक्षण के संबंध में किये गये प्रयासों का विवरण देवे।

.....
.....

(25) जिला परिषद्/पंचायत समिति क्षेत्र को मुकदमेबाजी से मुक्त कराने के संबंध में किये गये प्रयासों का विवरण देवें।

.....
.....

(26) आपकी जिला परिषद्/पंचायत समिति में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किस किस गतिविधि में हो रहा है:-

- (क) प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु ()
(ख) लेखा संधारण हेतु ()
(ग) आंकड़ों एवं सूचनाओं के संकलन हेतु ()
(घ) रिकॉर्ड के संधारण हेतु ()
(ङ) अन्य प्रयोजन स्पष्ट करें

(27) जिला परिषद्/पंचायत समिति को अधिक प्रभावी बनाने के बारे में आपके कोई सुझाव हो तो अंकित करें :

.....

(28) नवीन योजनाएँ

(अ) अटल सेवा केन्द्र

(क) आपकी जिला परिषद्/पंचायत समिति के अधीन कितनी ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केन्द्र भवन बन चुके हैं ?

.....

(ख) जिन ग्राम पंचायतों में उक्त केन्द्र नहीं बने हैं, उनके नाम तथा कब तक ये केन्द्र शुरू कर दिये जावेंगे ?

.....

(ग) उक्त केन्द्रों में कितनी ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है ?

.....

(ब) भामाशाह योजना के अन्तर्गत :

(क) कितने नामांकन होने थे ?

(ख) कितने नामांकन हो चुके हैं ?

(ग) कितने भामाशाह कार्ड बन चुके हैं ?

(स) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत :

(क) कितने शौचालय बनाये जाने थे ?

- निजी
- सामुदायिक

(ख) कितने शौचालय बन चुके हैं ?

- निजी
- सामुदायिक

(ग) क्या आपकी जिला परिषद्/पंचायत समिति का क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त है? हाँ/नहीं

यदि नहीं तो इस संबंध में किये गये प्रयासों को विवरण दें।

.....

.....

(द) लिंग संवेदनशीलता (Gender Awareness) – बेटी बचाओ/बेटी पढ़ाओ अभियान के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों का विवरण दें:-

(29) पिछड़ेपन को निर्धारित करने हेतु निम्न सूचनाएँ दें ।

सूचक	जनसंख्या	संख्या
(i) कुल जनसंख्या एवं कुल परिवारों की संख्या
(ii) गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या एवं परिवारों की संख्या
(iii) अनुसूचित जाति की जनसंख्या
(iv) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
(v) विद्यालय जाने योग्य बालिकाओं की संख्या
(vi) बालिका शिक्षा नामांकन संख्या
(vii) शिक्षण संस्थाओं का स्तर (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/सामान्य/स्तरहीन)
(viii) वर्ष 2013-14 व 2014-15 में जन्में बच्चों की संख्या
(ix) वर्ष 2013-14 व 2014-15 में बच्चों की मृत्यु संख्या
(x) आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या
(xi) आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकन संख्या
(xii) आंगनबाड़ी केन्द्रों में वास्तविक लाभान्वितों की संख्या
(xiii) पोषाहार की गुणवत्ता	(स्तरानुसार/स्तरहीन)
(xiv) (अ) क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान का प्रकार (जिला चिकित्सालय/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र/अन्य)
(ब) प्रति शैया पर औसत रोगियों की संख्या
(स) प्रति डॉक्टर पर रोगियों की संख्या
(xv) विद्युत कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या
(xvi) कच्ची सड़कों की लम्बाई (कि.मी. में)
(xvii) पक्की सड़कों की लम्बाई (कि.मी. में)
(xviii) सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
(xix) असिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
(xx) बाढ़/सूखा प्रभावित क्षेत्र	(हाँ/ नहीं)
(xxi) प्रति व्यक्ति वार्षिक आय
(xxii) प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग
(xxiii) भूमिहीन परिवारों की संख्या
(xxiv) आवासहीन परिवारों की संख्या
(xxv) झोंपड़ी में रहने वाले परिवारों की संख्या

(30) (क) आपकी संस्था के क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्तियाँ कितनी हैं, उनकी सूची (सम्पत्तियों के नाम, सम्पत्तियों की संख्या व उनका लागत मूल्य एवं उपयोग दर्शाते हुए) संलग्न करें।

(अ) पंचायत समिति/जिला परिषद स्वयं की

(ब) अन्य विभागों की

(ख) इन सम्पत्तियों के रख-रखाव की व्यवस्था किस प्रकार हो रही है?

(अ) पंचायत समिति/जिला परिषद स्वयं की

(ब) अन्य विभागों की

(ग) यदि पंचायत समिति/जिला परिषद के द्वारा नहीं की जा रही है तो वार्षिक रख-रखाव के लिये अनुमानित आवश्यक धन राशि

(31) (क) आपके क्षेत्र में कितने कार्यरत/ बन्द हैंडपम्प हैं?

(ख) कार्यरत हैंडपम्प मिस्त्रियों की संख्या :-

(अ) नियमित

(ब) अंशकालीन

(ग) यदि नियमित हैं तो इनके वेतन हेतु वर्ष 2015-20 तक कितनी धनराशि की आवश्यकता है-----

(32) राज्य सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये कार्य (Terms of Reference) की प्रति संलग्न (परिशिष्ट-I) है। इस संबंध में आपकी कोई टिप्पणी हो तो अंकित करें।

(33) जिला परिषद्/पंचायत समिति के विगत 5 वर्षों के आय-व्यय का विवरण संलग्न प्रपत्र (अ) एवं (ब) में प्रस्तुत करें।

(34) यदि जिला परिषद्/पंचायत समिति नागरिक सुविधाओं पर कोई व्यय करती है तो वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक वर्षवार धनराशि की आवश्यकता तथा इनके लिये उपलब्ध संसाधनों का विवरण संलग्न प्रपत्र (स) में प्रस्तुत करें।

आयोग को सौंपे गये कार्य (Terms of Reference)

- 1 आयोग सभी स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा:—
 - (क) ऐसे सिद्धान्त जिनसे निम्नलिखित शासित होंगे :—
 - (i) राज्य और पंचायतों के मध्य सभी स्तरों पर राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का वितरण, जो संविधान के भाग 9 के अधीन उनके मध्य विभाजित किये जा सकेंगे और ऐसे आगमों का पंचायतों के मध्य सभी स्तरों पर उनके अपने-अपने अंशों का आबंटन;
 - (ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण, जो पंचायतों के सभी स्तरों पर समनुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे; और
 - (iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के सभी स्तरों को सहायता-अनुदान।
 - (ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय।
- 2 आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का सभी स्तरों पर पुनर्विलोकन भी करेगा और निम्नलिखित के संबंध में सिफारिश करेगा:—
 - (क) ऐसे सिद्धान्त जिनसे निम्नलिखित शासित होंगे :—
 - (i) राज्य के और नगरपालिकाओं के मध्य, राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का वितरण, जो संविधान के भाग 9-क के अधीन उनके मध्य विभाजित किये जा सकेंगे और ऐसे आगमों का नगरपालिकाओं के मध्य सभी स्तरों पर उनमें अपने-अपने अंशों का आबंटन;
 - (ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण, जो नगरपालिकाओं को समनुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे; और
 - (iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं को सहायता-अनुदान।
 - (ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय।
- 3 आयोग, पंचायतों (सभी विभिन्न तीन स्तरों पर) और नगरपालिकाओं द्वारा, पूर्ण या आंशिक रूप से अपने संसाधनों द्वारा एकत्रित निधियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं (केन्द्रीय वित्त आयोगों के माध्यम से केन्द्र सरकार से एवं सीधे राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों पर सामान्य प्रयोजन हस्तान्तरण सहित), इन सेवाओं के मानकों और इन सेवाओं को प्रदान करने के लिये सिफारिश किये गये मानकों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए निधियों की प्रामाणिक आवश्यकताओं, और संस्थाओं में अन्तर की,

पहचान करेगा। आयोग, इन मानक सेवाओं को प्रदान करने के लिए, स्वयं के संसाधन सृजित करने के लिए, आवश्यक उपायों के संबंध में भी सुझाव देगा।

- 4 आयोग, लेखा संधारण प्रणाली और सेवाएं के प्रदान करने की गति, दक्षता तथा लागत की आवश्यकता के अनुरूप बेहतर राजवित्तीय प्रबन्धन के लिए भी सुझाव देगा।
- 5 आयोग, अपनी सिफारिशें करने में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को भी ध्यान में रखेगा, अर्थात:-
 - (i) राज्य के वित्तीय संसाधन एवं उन मांगों विशिष्टतः राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए योजनागत व्यय हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता;
 - (ii) नगरपालिकाओं को सभी स्तरों पर और पंचायतीराज संस्थाओं को उनके संसाधनों में 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अधीन उपलब्ध अनुदानों का समायोजन;
 - (iii) कर उद्गृहीत करने की शक्तियों सहित, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं द्वारा सभी स्तरों पर अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उपलब्ध शक्तियां;
 - (iv) राज्य सरकार से पंचायतों/नगरपालिकाओं को राजवित्तीय अंतरणों की प्रणाली को सरल और आसान बनाने की आवश्यकता और तत्प्रयोजनार्थ पृथक्-पृथक् करों में अंश (ऐसे करों के सिवाय जिनकी संबंधित नगरपालिकाओं/पंचायतों) से प्रबल कर संदायकर्ता निवासीय संलग्नता हो) के स्थान पर राज्य सरकार की स्वयं की शुद्ध कर प्राप्तियों पर आधारित हस्तांतरणों पर विचार करना;
 - (v) सिफारिश किये गये अनुदानों को प्रशासन के मानकों के सुधार, लेखों के रख-रखाव डाटाबेस संधारण और नगरपालिकाओं/पंचायतों द्वारा किये जा रहे कार्यों और सेवाओं के प्रदाय में सूचना प्रौद्योगिकी को मुख्य धारा में लाने की ओर निदिष्ट किये जाने की आवश्यकता।
- 6 आयोग, पूर्वोक्त प्रत्येक विषय पर अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 2015 से प्रारंभ होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिए देगा। आयोग यह भी बतायेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं, साथ ही वह सभी स्तरों पर की पंचायतों और नगरपालिकाओं की प्राप्तियों और व्ययों के प्राक्कलन भी उपलब्ध करायेगा।

जिला परिषद की आय/प्राप्तियाँ

जिला परिषद :

(लाख रूपये)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	स्वयं की आय					
	(अ) कर राजस्व					
	(i) स्टाम्प ड्यूटी पर अधिकार					
	(ii) मण्डी कर पर अधिभार					
	(iii) अन्य मदवार उल्लेख करें					
	योग - अ [i+ii+iii]					
1	(ब) गैर-कर राजस्व					
	1. मेलों में अनुज्ञापत्रों से प्राप्त फीस					
	2. पानी से प्राप्ति (पीने व सिंचाई के पानी से प्राप्तियाँ)					
	3. हड्डियों व मछली आदि के टेके से प्राप्तियाँ					
	4. सम्पत्तियों से प्राप्त किराया					
	5. प्रपत्रों की बिक्री					
6. अन्य मदवार उल्लेख करें						
	योग - ब (1-6)					
	योग - 1 (अ+ब)					
2	राज्य सरकार से प्राप्तियाँ					
	1. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (बजट मद 2515)					
	(i) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान					
	(ii) 13 th वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान					
	(iii) निर्बन्ध राशि					
	(iv) अन्य अनुदान मदवार उल्लेख करें					
	योग - 1 [i+ii+iii+(iv)]					
	2. शिक्षा (बजट मद 2202,2575 तथा 2705)					
	3. जल आपूर्ति (बजट मद 2215)					
	4. आवास (बजट मद 2216)					
5. अन्य मदवार उल्लेख करें						
	योग - 2 [1-5]					
3	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्तियाँ					
	1. विधायक क्षेत्र विकास योजना					
	2. सांसद क्षेत्र विकास योजना					
	3. सुनिश्चित रोजगार योजना					
	4. अन्य योजनायें - मदवार उल्लेख करें					
	योग - 3 [1-4]					
	कुल प्राप्तियाँ (1+2+3)					

प्रपत्र (ब)

जिला परिषद का व्यय

जिला परिषद :

(लाख रूपये)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	वेतन व भत्ते आदि 1. संस्थापन 2. शिक्षा 3. सम्पूर्ण स्वच्छता योजना/ स्वच्छ भारत अभियान 4. अन्य मदवार उल्लेख करें					
	योग - 1 [1-4]					
2	विकासीय व्यय 1. आवास 2. सुनिश्चित रोजगार योजना 3. अन्य मदवार उल्लेख करें					
	योग - 2 [1+2+3]					
3	रख रखाव व अन्य व्यय मदवार उल्लेख करें					
4	अन्य व्यय - यदि कोई है तो मदवार उल्लेख करें					
	कुल व्यय (1+2+3+4)					

प्रपत्र (स)

भावी आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधन 2015-2020

जिला परिषद :

जिला :

(लाख रूपये)

क्र.सं.	मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	योग
	अ. भावी आवश्यकता- मूलभूत नागरिक सुविधाओं हेतु यदि कोई आवश्यकता है तो मदवार अंकित करें						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
	योग (अ)						
	ब. उपलब्ध संसाधन/ संस्था द्वारा जुटाए जाने वाले संसाधन/स्रोत						
1.	करारोपण						
2.	फीस आदि						
3.	जनसहयोग						
4.	अन्य- मदवार उल्लेख करें						
	योग (ब)						
	अन्तर (अ-ब)						

पंचायत समितियों की आय/प्राप्तियाँ

पंचायत समिति :.....

जिला :

(लाख रूपये)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	स्वयं की आय (अ)कर राजस्व 1.कृषि भूमि के किराये पर कर 2. व्यापार/व्यवसाय आदि पर कर 3. प्राथमिक शिक्षा सैस 4.मेलों पर कर 5.मनोरंजन कर 6.अन्य मदवार उल्लेख करें					
	योग – (अ) [1-6]					
	(ब)गैर-कर राजस्व 1.ठेके से प्राप्तियाँ 2.सम्पत्ति के निस्तारण से प्राप्तियाँ 3.फीस 4.अन्य मदवार उल्लेख करें					
	योग –(ब) [1-4]					
	योग – 1 (अ+ब)					
2	राज्य सरकार से प्राप्तियाँ 1. भू राजस्व की एवज में प्राप्त अनुदान (सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान) (बजट मद 3604) 2. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (बजट मद 2515) 3. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान 4. 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान 5. शिक्षा (बजट मद 2201,2202,2575, तथा 2705) 6. जल आपूर्ति (बजट मद 2215) 7. आवास (बजट मद 2216) 8. अन्य अनुदान मदवार उल्लेख करें					
	योग – 2 [1-8]					
3	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्तियाँ 1. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2. निर्बन्ध राशि 3. विधायक क्षेत्र विकास योजना 4. सांसद क्षेत्र विकास योजना 5. अन्य योजनायें – मदवार उल्लेख करें					
	योग – 3 [1-5]					
	कुल प्राप्तियाँ (1+2+3)					

पंचायत समितियों का व्यय

पंचायत समिति :

जिला :

(लाख रूपये)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	वेतन एवं भत्ते आदि 1. संस्थापन 2. शिक्षा 3. अन्य मदवार उल्लेख करें					
	योग - 1 [1-3]					
2	विकासीय व्यय 1.आवास 2. डी.आर.डी.ए. (अ)प्रशासन (ब)स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना / समेकित कार्यक्रम (स)विधायक क्षेत्र योजना (द)सासंद क्षेत्र योजना (इ)अन्य योजनायें मदवार उल्लेख करें					
	योग - 2 (अ-इ)					
	3. अन्य मदवार उल्लेख करें					
	योग - 2 [1-3]					
3	रख रखाव व अन्य व्यय 1.हैण्ड पम्पों की मरम्मत 2.अन्य मदवार उल्लेख करें					
	योग - 3 [1+2]					
	कुल व्यय (1+2+3)					

भावी आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधन
2015-2020

पंचायत समिति :

जिला :

(लाख रूपये)

क्र.सं.	मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	योग
	अ. भावी आवश्यकता- मूलभूत नागरिक सुविधाओं हेतु यदि कोई आवश्यकता है तो मदवार अंकित करें						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
	योग (अ)						
	ब. उपलब्ध संसाधन/ संस्था द्वारा जुटाए जाने वाले संसाधन/स्रोत						
1.	करारोपण						
2.	फीस आदि						
3.	जनसहयोग						
4.	अन्य- मदवार उल्लेख करें						
	योग (ब)						
	अन्तर (अ-ब)						